पत्रांक 363/431048 लेखा

108—01—03—2016

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना।

प्रेषक, पटना, दिनांक-03.07.2019

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक (रेल एवं इकाई सहित), बिहार।
सभी समादेष्टा (सै०पु० एव अश्वारोही सहित) बिहार
पुलिस अधीक्षक (सी) अप०अनु०विभाग/(अ) विशेष शाखा/आर्थिक अपराध इकाई/वितंतु/निगरानी/विशेष कार्य बल, बिहार।
सभी प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार।
सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, बिहार।
राज्य अग्निशामन पदाधिकारी, बिहार, पटना।

प्रसंगः— पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक—682/424231/लेखा दिनांक—15.05.2019

विषयः— बिहार पुलिस परोपकारी, शिक्षा तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष में अंशदान कटौती के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार पुलिस केन्द्रीय कल्याण कोष में आप सभी के द्वारा बिहार पुलिस परोपकारी कोष, शिक्षा कोष, तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष में अंशदान पूर्ण रूप से मार्च 2019 के बाद नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण कोष की स्थिति दयनीय होती जा रही है। जबकि पुलिस मुख्यालय द्वारा सी०एफ०एम०एस० के द्वारा वेतन निकासी होने के कारण अंशदान की कटौती किस तरह की जानी है, इस संबंध में प्रसांगिक पत्र के माध्यम से आदेश दिया जा चुका है।

पुनः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने—अपने जिला/इकाई के सभी सदस्यों सिपाही से पुलिस निरीक्षक (लिपिक सहित) तक से अंशदान प्राप्त कर अवैतनिक सचिव बिहार पुलिस परोपकारी कोष, शिक्षा कोष तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष के नाम से अलग—अलग चेक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक जमा पर्ची एवं पदवार विवरणी के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय, जिस जिला/इकाई से 15 जुलाई, 2019 तक पुलिस मुख्यालय में अंशदान प्राप्त नहीं होने पर उस जिला/इकाई कार्यालय प्रधान को दोषी समझा जायेगा।

अनु०—यथोपरि।

विश्वासभाजन,

Jitendra 01.07.19

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः—

1 सभी अपर पुलिस महानिदेशक (रेल, सै०पु० एवं सभी इकाई सहित) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

2 सभी पुलिस महानिरीक्षक (रेल, सै०पु० एवं सभी इकाई सहित) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से क्रियान्वयन कराने का कष्ट किया जाय।

3 सभी पुलिस उप—महानिरीक्षक (रेल, सै०पु० एवं सभी इकाई सहित) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

4 अध्यक्ष, बि०पु०एसो०/बि०पु०मे०एसो०/बि०पु०अनु०क०सं० को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

5 पुलिस उपाधीक्षक, परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

6 पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित कार्यालय), पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निर्देश दिया जाता है कि पुलिस मुख्यालय के सभी सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक तक का परोपकारी, शिक्षा, कल्याण कोष में अंशदान कटौती कराना सुनिश्चित कराया जाय।

7 प्रभारी पुलिस नियंत्रण कक्ष/आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

Jitendra 01.07.19

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

119 क

आदेश

दिनांक–08.04.2019 को बिहार पुलिस केन्द्रीय कल्याण समिति की बैठक के वृत की कंडिका–11 में बिहार पुलिस परोपकारी कोष, शिक्षा कोष एवं पुलिस सहाय्य कल्याण कोष में CFMS के माध्यम से अंशदान का कॉलम नहीं रहने के कारण अंशदान कटौती नहीं हो पायेगी। इस हेतु जिला/इकाई में संधारित कल्याण कोष के बैंक खाता में प्रत्येक कर्मी का परोपकारी कोष, शिक्षा कोष तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष का अंशदान राशि की कटौती प्रत्येक माह के 15 तारीख को उनके खाता से कटौती करने हेतु **STANDING INSTRUCTION** के लिए आवेदन, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं पासबुक की छायाप्रति के साथ प्राप्त कर एक साथ संबंधित बैंक में भेज कर **STANDING INSTRUCTION** करवा ले, अंशदान प्राप्ति के पश्चात् परोपकारी कोष, शिक्षा कोष का 100% अंशदान राशि तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष का 60% अंशदान राशि का बैक ड्राफ्ट/चेक द्वारा निम्नांकित कोष में पदवार विवरणी के साथ प्रत्येक माह भेजने के लिए सभी पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा को अनुरोध करने का बैठक में सर्व–सम्मति से निर्णय लिया गया है:–

क्र0सं0	कोष का नाम एवं बैंक खाता संख्या	अंशदान राशि मासिक (सिपाही से पुलिस निरीक्षक तक लिपिक सहित)
1	अवैतनिक सचिव, बिहार पुलिस परोपकारी कोष खाता संख्या–**10839123888**	50/– (पचास) रूपये मात्र
2	अवैतनिक सचिव, बिहार पुलिस शिक्षा कोष खाता संख्या–**10839123877**	50/– (पचास) रूपये मात्र
3	अवैतनिक सचिव, बिहार सहाय्य एवं कल्याण कोष खाता संख्या–**10839123720**	20/– (बीस) रूपये मात्र (केन्दीय कल्याण कोष 60% -12/ जिला/इकाई कल्याण कोष 40% - 8/-)

STANDING INSTRUCTION करने हेतु आवेदन

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
....।

विषय :– प्रत्येक माह के 15 तारीख को मेरे बैंक खाता संख्या.. में **STANDING INSTRUCTION** लगाने के संबंध मे।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि मैं बिहार पुलिस परोपकारी कोष, शिक्षा कोष एवं पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष का सदस्य रहना चाहता हूँ। इसके लिए तीनों कोषों में अंशदान करना आवश्यक है। मेरा वेतन **CFMS** के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसमें अंशदान कटौती की सुविधा नहीं है। इस कारण मैं अपने बैंक खाता संख्या...से प्रत्येक माह के 15 तारीख को निम्नांकित बैंक खाता में **STANDING INSTRUCTION** द्वारा राशि जमा करना चाहता हूँ।

क्र0सं0	बैंक खाता का नाम	खाता संख्या	राशि
1	जिला/इकाई में संधारित कल्याण कोष का खाता	....	120/– (एक सौ बीस रूपये) मात्र

अतः अनुरोध है कि मेरे बैंक खाता संख्या ....से उपरोक्त बैंक खाता में अंकित राशि का **STANDING INSTRUCTION** के माध्यम से प्रत्येक माह के 15 तारीख को राशि कटौती करने की कृपा की जाय।

अनु0:– पासबुक, पैन एवं आधार की छायाप्रति।

विश्वासभाजन,

(आवेदक का हस्ताक्षर)
बैंक खाता सं0.......................................
मो0नं0...

तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–682/42423/लेखा
III-01-02-2019

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 15-05-19

प्रतिलिपि:–

1. सभी पुलिस महानिदेशक, बिहार/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेलवे/इकाई/अग्निश्मन/वितंतु सहित)/अप0अनु0 विभाग/विशेष शाखा, बिहार को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक क्रियार्थ।
3. प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा)/लेखापाल (कल्याण कोष), पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. पुलिस उपाधीक्षक, नियंत्रण कक्ष/आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),